(120)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1677-दो/2014 - विरुद्ध आदेश दिनांक 22-5-2014- पारित व्दारा - आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर - प्रकरण कमांक 16/2013-14 अपील

1- मलखान सिंह पुत्र महरवान सिंह यादव
2- लाखन सिंह 3- रविन्द्रसिंह 4- विरमालसिंह
पुत्रगण मलखान सिंह यादव
5- उतरवाई पत्नि मलखान सिंह यादव
सभी निवासी ग्राम डोंगर तहसील चन्देरी
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरुद्ध

बृजभान सिंह पुत्र आधार सिंह यादव
ग्राम डोंगर तहसील चन्देरी
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ----अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 22जनवरी, 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 16/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार चन्देरी के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम डोंगर में उसके नाम भूमि स0क0 119/2 रकबा 2.472 हैक्टर भूमि है किन्तु आवेदकगण से उक्त रकबे में से 0.600 है. (आगे जिसे वादोक्त भूमि लिखा गया है) भू भाग पर अवैध कब्जा कर लिया है,कब्जा दिलाया जावे। नायब तहसीलदार तहसीलदार ने प्र0क0

2-अ-70/2012-13 पंजीबद्ध किया तथा उभय पक्ष की सुनवाई उपांत आदेश दि. 23-3-13 पारित किया तथा अनावेदक का दावा म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत समयावधि में प्रस्तुत न होने से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, चन्देरी के समक्ष अपील कमांक 18/2012-13 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 28-9-13 से अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 23-3-13 निरस्त कर दिया गया एंव आवेदकगण को कब्जा वापिसी हेतु एक माह का समय दिया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर के यहॉ अपील करने पर प्रकरण कमांक 16/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2014 से अपील निरस्त की गई एंव अनावेदक को 15 दिवस में कब्जा दिलाने तथा कब्जा न छोड़ने पर सिविल जेल की कार्यवाही करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनावेदक ने विचारण न्यायालय में यह बताया है उसने जब सीमांकन कराया, तब पता चला कि वादोक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है। विचारण न्यायालय ने वास्तवकि स्थिति की जांच की, तब खसरा संबत 2031 लगायत 2035 अनुसार स्थिति यह है कि सर्वे कमांक 119/2 का पूर्व सर्वे नंबर 119 था तथा इस सर्वे नंबर का क्षेत्रफल (कुल रकबा) 7.421 हैक्टर में से 1/12 अर्थात 0.618 हैक्टर रहा है परन्तु 2061 लगायत 2065 के खसरे में सर्वे नंबर 119 के विभाजन पर बटांकन में सर्वे नंबर 119/1/1 , 119/1/2, 119/1/3 तथा 119/2 बने, जिसमें सर्वे नंबर 119/2 का रकबा 2.492 है0 हुआ, तब इतना अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार हो गया,

इसका समाधान अनावेदक नहीं करा सका, जो मूल विवाद की जड़ है और इसी आधार पर पाया गया कि अनावेदक के हिस्से में आया क्षेत्रफल उसे प्राप्त भाग से अधिक हो गया है, जिसका वह लाभ प्राप्त करना चाहता है जबकि आवेदकगण का वादोक्त रकबे पर कब्जा बटांकन के समय से चला आ रहा है क्योंकि खसरा बटांकन वर्ष 2061 लगायत 2065 से यह तथ्य विचारण न्यायालय में प्रमाणित हुआ है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी व्दारा आदेश दिनांक 28-9-13 में तथा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 22-5-2014 में अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा सीमांकन के उपरांत मानना विसंगति-पूर्ण है और इन्हीं कारणों से तहसील न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 23-3-13 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी व्दारा पारित आदेश दिनांक 28-9-13 तथा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 22-5-2014 त्रृटिपूर्ण हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 16/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-5-2014 एंव अनुविभागीय अधिकारी, चन्देरी व्दारा प्रकरण कमांक 18/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-9-13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव नायब तहसीलदार चन्देरी व्दारा प्रकरण कमांक 02अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23-3-13 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर